

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.7(1)(1)पंचा / रानिआ / 2024 / 1299

दिनांक : 03.02.2024

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत)(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:—पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान की स्थिति में मतगणना हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय IV के नियम 49 में पंच पद की मतगणना से संबंधित उपबंध दिए गए हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतगणना हेतु अध्याय IV-क के नियम 49-डी में पंच पद के चुनाव के लिए प्रावधान विहित किए हुए हैं। पंच पद के उक्त प्रावधान नियम 58(5) के अन्तर्गत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए गए हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचनों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान होने की स्थिति में उक्त प्रावधानों की पालना एवं मतगणना कार्य के सफल संचालन के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:—

1. सामान्य किन्तु ध्यान देने योग्य बिन्दु :—

- मतगणना निर्वाचन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए आपको मतगणना का कार्य अत्यधिक सर्तकता से करना है।
- वोटिंग मशीन से मतदान होने पर मतगणना मतदान केन्द्रवार (बूथवार) होती है। मतगणना दोष-रहित हो और निर्वाचन के परिणाम के बारे में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के मन में कोई भ्रम नहीं रहे, इसके लिये प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और व्यवस्था सही रखी जाये।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की ईवीएम (M3A, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में दोनों पदों के लिए कन्ट्रोल एवं बैलेट यूनिटें पृथक-पृथक होंगी। अतः मतगणना कार्य पृथक-पृथक कक्षों में कराया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) तथा मल्टी पोस्ट मल्टीवोट (MPMV) ईवीएम से निर्वाचन होने पर कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, अतः ऐसी स्थिति में दोनों पदों के लिए मतगणना कार्य एक ही कक्ष में कराया जाएगा।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ईवीएम (M3A, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में जिला परिषद सदस्य के लिये प्रयोग की गई कन्ट्रोल यूनिट एवं उसके कैरिंग बक्से पर **पीला** स्टिकर लगा होगा व पंचायत समिति सदस्य चुनाव वाली यूनिट पर **नीले** रंग का स्टिकर लगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों पदों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में कन्ट्रोल यूनिट एक ही होगी, इसलिए उक्त कन्ट्रोल यूनिट पर स्टिकर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु यदि उक्त कन्ट्रोल यूनिट सिर्फ जिला परिषद सदस्य अथवा पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन अर्थात् एक ही पद हेतु उपयोग में लाई जाती है तो सिंगल पोस्ट सिंगल वोट ईवीएम की तरह इन कन्ट्रोल यूनिटों पर भी यथा स्थिति स्टिकर लगाये जाएंगे।

2. कानूनी प्रावधान:-

1. ऐसे निर्वाचनों, जहाँ मतदान मशीने प्रयुक्त की जाती है, में मशीनों के परिवहन व सुरक्षित अभिरक्षा तथा मतगणना सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 49-क, 51, 54, 55-क, 47-घ, 49-ग, 49-घ, 50-क, 52-क एवं 53-क में बताये गये हैं। नियम 58 के अनुसार पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य के चुनाव में उक्त नियम यथाशक्य परिवर्तनों के साथ लागू किए गये हैं। निर्वाचन अभिकर्ता तथा गणन अभिकर्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अध्याय-10 में बताये गये हैं। निर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने संबंधी प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 24 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 एवं 76 में बताये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने डाक मतपत्रों की गणना के लिये आदेश क्र मांक 1134 दिनांक 29.01.2026 (सां. आ. 153/2026) के अनुसार रीति विहित की है।
2. उक्त कानूनी प्रावधानों में मतगणना के समय और स्थान, गणना के लिये नियत स्थान में प्रवेश, डाक मतपत्रों की गणना, मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण, मतदान की गोपनीयता को बनाये रखने, लगातार गणना, नये मतदान के पश्चात गणना के पुनरारम्भ, मतों की पुनर्गणना, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचित अभ्यर्थी को शपथ दिलाने, मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की वास्तविक गणना करने और गणना के पश्चात् मशीनों एवं निर्वाचन कागजात को सील करने के लिए भी प्रक्रिया बताई गई है।

3. मतगणना की तारीख, स्थान और समय:-

1. आयोग के द्वारा घोषित मतगणना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, मतगणना की तारीख और समय रिटर्निंग अधिकारी को नियम 49-घ के अन्तर्गत नियत करनी है।
2. मतों की गणना जिला मुख्यालय पर ही की जायेगी, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के दिशा निर्देश पर रिटर्निंग अधिकारी को स्थान निर्धारित करना है।
3. मतों की गणना, यथासंभव एक ही भवन में की जाये। जिन जिलों में पंचायत समिति/जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान बूथ अधिक है, वहां जिला निर्वाचन अधिकारी दो भवनों का भी चयन कर सकते हैं, लेकिन प्रयास यह रहे कि भवन पास-पास हो। जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ईवीएम (M3A, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में मतगणना पृथक-पृथक कक्ष/हॉल में होगी जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से दोनों पदों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना एक ही कक्ष/हॉल में होगी। यदि हॉल बड़ा है तो उसे एक से अधिक कक्षों में अस्थाई पार्टीसन से विभाजित कर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना भी की जा सकती है। यथासंभव प्रत्येक कक्ष का प्रभारी उपलब्धता के अनुसार पृथक सहायक रिटर्निंग अधिकारी हो।
4. गणना की तारीख, समय और स्थान के संबंध में आपको प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में सूचना देनी होगी। यह सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को मतदान की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिये। यदि किसी अपरिहार्य कारण से इस प्रकार नियत तथा अभ्यर्थियों को सूचित की गयी तारीख या समय या स्थान में परिवर्तन होता है तो आपको ऐसे परिवर्तन की सूचना पुनः प्रत्येक अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता को लिखित में देनी चाहिए।
5. यह आवश्यक है कि मतगणना हॉल पर्याप्त बड़े हो जिसमें आपके लिए कार्मिकों, अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान हो। वहां पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतों की गणना अस्थायी ढाचें में नहीं की जानी चाहिए। मतगणना भवन के परिसर में सुरक्षा की दोहरी व पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि परिसर में भीड़-भाड़ भी न हो।

4. गणना करने हेतु टेबलों की संख्या और उनकी व्यवस्था:-

1. जिला परिषद् सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ईवीएम (M3A, MK-5 Model) से निर्वाचन की स्थिति में मतगणना पृथक-पृथक कक्ष/हॉल में होगी जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा

निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से दोनों पदों के लिए निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना एक ही कक्ष/हॉल में होगी, यह दृष्टिगत रखते हुये पहले से ही यह निश्चय कर लें कि आप प्रत्येक गणना स्थान पर कितनी गणना मेजें रखना चाहते हैं, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करेगा कि आपको कितने गणना पर्यवेक्षकों और कितने गणना सहायकों की नियुक्ति करनी होगी और प्रत्येक अभ्यर्थी कितने गणन अभिकर्ता नियुक्त करने का हकदार होगा।

2. जहां एक कक्ष में एक से अधिक टेबिल लगायी जायें वहां टेबिलों को क्रम संख्यांकित किया जाये। टेबिलों के मध्य गणन पर्यवेक्षकों, गणन सहायकों, अभ्यर्थियों/ऐजेन्टों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ा जाना चाहिए।
3. एक कक्ष में एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की गणना की जा सकेगी। लेकिन एक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना पूरी होने के बाद ही संबंधित टेबिलों पर अन्य निर्वाचन क्षेत्र की गणना का कार्य लिया जाये किन्तु यदि आप एक साथ एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गणना कार्य करना चाहे तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि मतगणना स्थल पर इस हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो एवं मतगणना कार्य की गोपनीयता बनी रहे। जिस समय जिस निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना हो रही हो, उस दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों/ऐजेन्टों को ही मतगणना कक्ष में रहने दिया जाये, और जिन निर्वाचन क्षेत्रों को मतगणना में लिया जाना शेष है, उनके अभ्यर्थियों/ऐजेन्टों को मतगणना केन्द्र के भवन में ही एक नियत कक्ष में इन्तजार करने हेतु कहा जाये।

5. गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायक एवं रिटर्निंग अधिकारी के सहायक:-

1. रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक नियुक्त करेगा। एक टेबिल पर एक गणन-पर्यवेक्षक और एक गणन सहायक नियुक्त करना है।
2. गणन पर्यवेक्षक राजपत्रित या समकक्ष अधिकारियों को नियुक्त किया जाए जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों या राज्य सरकार के अधीनस्थ निगमों, मण्डलों, संस्थानों के भी हो सकते हैं। गणन सहायक भले ही राजपत्रित स्तर के न हो, लेकिन यथासंभव पर्यवेक्षकीय पदों (Supervisory Post) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्तर के हो। किसी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी से जुड़े हुये व्यक्ति गणन पर्यवेक्षक या गणन सहायक नियुक्त नहीं किए जाएं। गणन पर्यवेक्षक व गणन सहायक निष्पक्ष व कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी होने चाहिए। गणन पर्यवेक्षकों व सहायकों (रिजर्व स्टाफ सहित) को भली-भाँति प्रशिक्षण दिया जाना भी आवश्यक है।
3. गणन पर्यवेक्षकों एवं गणन सहायकों के अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारी ईवीएम/एसडीएमएम/डीएमएम (यदि मल्टी पोस्ट सिंगल वोट एवं मल्टीपोस्ट मल्टीवोट मशीनें उपयोग में ली गई हैं) व अन्य निर्वाचन संबंधी कागजात को सील करने, के लिये भी सहायकों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमोदन से करेगा।

6. गणन अभिकर्ताओं की संख्या व उनकी नियुक्ति:-

1. नियम 70 के अनुसार अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतगणना के समय उसकी ओर से उपस्थित रहने के लिये गणन अभिकर्ता प्ररूप-10 में नियुक्त कर सकता है। गणन अभिकर्ताओं की संख्या गणना के लिये लगायी गयी टेबिलों, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी की टेबिल भी शामिल है, की संख्या से अधिक नहीं होगी तथा एक रीलीफ (Relief) ऐजेन्ट भी नियुक्त हो सकता है। एक अभ्यर्थी प्ररूप-10 में एक पत्र पर एक से अधिक अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी कर सकता है। अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता जिन व्यक्तियों को गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करें तो ऐसे नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर ऐसी नियुक्ति की सहमति के रूप में होने आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर गणन अभिकर्ता की सहमति के रूप में नहीं हो तो उसकी नियुक्ति मान्य नहीं होगी।
2. मतगणना केन्द्रों पर मतगणना अभिकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप में उनके नियुक्ति पत्रों व बैजों की जांच उपरान्त ही प्रवेश करने दिया जाये। नियुक्ति पत्रों एवं बैजों पर मतगणना अभिकर्ताओं का स्वयं के द्वारा हस्ताक्षरित एवं अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा

प्रमाणित फोटो होना आवश्यक है। ये नियुक्ति पत्र मय दो फोटो के अभ्यर्थियों/उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा मतगणना के दिन से कम से कम दो दिन पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत होना आवश्यक है। उक्त दोनों फोटो भी अभ्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

3. उक्त नियुक्ति पत्र की दो प्रतियों में से एक प्रति फोटो लगाकर रिटर्निंग अधिकारी उसी समय संबंधित अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता को लौटा देवे। साथ ही दूसरी फोटो का उपयोग करते हुये मतगणना अभिकर्ता के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फोटो युक्त बैज भी जारी किया जायेगा। फोटो युक्त बैज में टेबल क्रमांक व अभ्यर्थी का नाम व निर्वाचन का विवरण तथा निर्वाचन क्षेत्र संख्या भी अंकित हो। उक्त अनुमोदित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र एवं फोटो युक्त बैज के आधार पर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करने दिया जावे।
4. मतगणना के प्रारम्भ होने से कम से कम आधा घण्टा पूर्व गणन अभिकर्ता प्रारूप-10 की घोषणा पढकर उस पर रिटर्निंग अधिकारी या नियम 58 के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा एवं उसके समक्ष उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा।
5. गणन अभिकर्ताओं, संबंधित अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बता दिया जाये कि गणना कार्य के बीच में गणना कक्ष से बाहर जाने नहीं दिया जायेगा और यदि बाहर जाता है तो उसे पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा ताकि मतगणना हाल में व्यवस्था बनी रहें एवं गोपनीयता भंग नहीं हो।
6. गणन अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले समस्त बैजों का इन्द्राज पृथक रजिस्टर में भी किया जायेगा। बैजों को कम संख्यांक दिये जायेंगे तथा बैजों पर रिटर्निंग अधिकारी की सील भी लगाई जायेगी। मतगणना के दिन, मतगणना केन्द्र के भवन में बिना बैज व बिना नियुक्ति पत्र के गणन अभिकर्ताओं को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी फोटो युक्त बैज दिये जायेंगे।
8. गणन अभिकर्ताओं के लिये की गई उपरोक्त व्यवस्था के बारे में संबंधित राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पूर्व, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा सूचित किया जायेगा। अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को भी रिटर्निंग अधिकारी उपरोक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-49 घ के अन्तर्गत दी जाने वाली सूचना के साथ ही अवगत कराये।
9. जिला स्तर पर राजनीतिक दलों को उपरोक्त व्यवस्था के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी भी सूचित करेंगे।
10. गणन अभिकर्ता गणना कक्ष में आवंटित की गई टेबिल पर ही बैठ सकेगा अन्यत्र नहीं। मात्र अभ्यर्थी व उसके निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी टेबिल पर जाने का अधिकार होगा।
11. मतगणना कक्ष में जिस निर्वाचन क्षेत्र या जिन निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना हो रही है, इनसे संबंधित अभ्यर्थियों व अभिकर्ताओं को ही गणना हाल में तत्समय रहने दें, शेष को किसी अन्य कक्ष में इन्तजार करने हेतु उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाये।

7. गणना मेजों पर अपेक्षित लेखन सामग्री:-

प्रत्येक मतगणना मेज पर निम्नलिखित लेखन सामग्री की व्यवस्था करें:-

1. एक नीली स्याही का बाल-पाइंट पेन,
2. सीलों को तोड़कर खोलने के लिए चाकू या ब्लेड,
3. प्रारूप 14 के भाग 1 में रिकार्ड किये गये मतों का लेखा,
(इस प्रारूप के भाग 2 में गणना पर्यवेक्षक द्वारा गणना का परिणाम लिखा जायेगा)
4. कागज की दो शीट।

8. गणना कक्ष में अनुशासन:-

गणना कक्ष में धूम्रपान करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतगणना के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के विधि सम्मत् निर्देशों का पालन नहीं करता है या अवचार करता है तो उसे मतगणना कक्ष से बाहर निकाल दिया जायेगा, जिसके लिये मतगणनाकक्ष के बाहर मौजूद पुलिस अधिकारी की मदद ली जा सकती है। रिटर्निंग अधिकारी को यह आश्वस्त होना है कि मतगणना के दौरान सुव्यवस्था और अनुशासन मतगणना के दौरान बना रहे।

9. मतों की गोपनीयता बनाये रखना:-

मतगणना के दौरान प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति जो मतगणना या उनके अभिलेखन से संबंधित कोई कार्य करता है उसे मतों की गोपनीयता बनाए रखनी होगी। धारा 128 लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो इन चुनावों में भी लागू है, के प्रावधानों के बारे में मतगणना प्रारम्भ करने से पूर्व मतगणना कक्ष में सभी उपस्थित व्यक्तियों को समझा दिया जाना चाहिये।

10. मतगणना स्थल में प्रवेश:-

1. नियम 58 के सपटित नियम 68, 70 एवं नियम 49 घ के उप नियम-(4) के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी मात्र निम्न 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मतगणना स्थल में आने की अनुमति देगा:-
(क) मतदान अधिकारी एवं सहायक मतदान अधिकारी (जो पंचायत समिति/जिला परिषद् सदस्य निर्वाचन की मतगणना में गणना-पर्यवेक्षक व गणना सहायक है।)
(ख) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
(ग) निर्वाचन के संबंध में ड्यूटी पर तैनात लोक-सेवक
(घ) अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता और प्रति गणन मेज पर एक गणन अभिकर्ता।
2. मतगणना केन्द्र पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारी व अधिकारी को, कानून व्यवस्था से संबंधित या अन्य ऐसे ही किसी उद्देश्य के लिये, रिटर्निंग अधिकारी गणना कक्ष में बुला सकता है। सामान्य स्थिति में पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों को गणना कक्ष में नहीं आने देना चाहिये, क्योंकि किसी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा ऐसी शिकायत की जा सकती है कि गणना-कक्ष में अनावश्यक रूप से पुलिस का दिखावा किया गया है।
3. मंत्रीगण, सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष/सभापति/मेयर, प्रधान/जिला प्रमुख या सुरक्षा कवर प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः मतगणना केन्द्र पर इनमें से किसी को, यदि वह अभ्यर्थी नहीं है तो, प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
5. गणना-कक्ष में व्यक्तियों की आवाजाही सुचारु-रूप से रखी जाये ताकि भीड़-भाड़ नहीं हो और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो।

11. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना:-

1. डाक मतपत्रों की गणना सर्वप्रथम की जानी है। जिस कक्ष में निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना की जावे, उसी में डाक मतपत्रों को गणना में पहले लिया जावे, लेकिन यह ध्यान रखे कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मशीनों की मतगणना पूरी होने के पूर्व ही उस निर्वाचन क्षेत्र के डाक मतपत्रों की गणना का कार्य पूर्ण हो जाये।
2. मतगणना प्रारम्भ होने के लिये नियत समय के पश्चात प्राप्त डाक मतपत्र का कोई लिफाफा नहीं खोला जाना चाहिए। उन्हें बिना खोले ही अस्वीकार कर देना चाहिए और अलग से लिफाफे में रखकर सील कर देना चाहिए तथा उस पर समुचित विवरण भी लिख देना चाहिए। समयावधि पश्चात प्राप्त ऐसे अस्वीकार किये गये डाक मतपत्र का परिणाम पत्र प्ररूप-7 में दर्ज नहीं होंगे।
3. राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 35 में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त स्टाफ को डाक मतपत्र जारी करने का प्रावधान है। उक्त नियम 35 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे डाक मतपत्रों की गणना करने की रीति और उनको प्रतिक्षेपित करने के संबंध में रीति विहित करते हुये अपने आदेश क्रमांक 1134 दिनांक 29.01.2026 (सां. आ. 153/2026) से निर्देश जारी किये हैं।
4. इसके पश्चात विधिमान्य मतों की गणना की जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी तथा नोटा के पक्ष में दिये गये मतों को गिना जाकर प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को डाक मतपत्रों के रूप में प्राप्त कुल मतों की गणना की जानी चाहिए और अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए उन्हें सुनाया जाना चाहिये। मशीनों में रिकार्ड किये गये अभ्यर्थीवार मतों में डाक मतपत्रों के रूप में अभ्यर्थीवार वैधमतों को जोड़ कर गणना के परिणाम को प्ररूप 7 में दिये गये परिणाम पत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रविष्ट किया जाना चाहिए।
5. तत्पश्चात सभी विधिमान्य डाक मतपत्रों और सभी अस्वीकृत डाक मतपत्रों के प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक बण्डल एक साथ पैकेट में रख दिया जाना चाहिए और उस पैकेट को रिटर्निंग

अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मुहर से और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की मुहरों से, जो उस पर लगाना चाहे, मुहरबन्द कर देना चाहिए तथा पहचान के लिए सभी विवरण जैसे जिला परिषद् या पंचायत समिति का नाम, निर्वाचन क्षेत्र संख्या, गणना की तारीख और उसमें रखी गई वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित कर दिया जाना चाहिए।

मतदान मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना

12. नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण:-

1. नियम 49-ग के प्रावधानों के अनुसार गिनती से पूर्व नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा व निरीक्षण किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को भी इनकी सीलें देखने की अनुमति होगी।
2. गणना-टेबल पर नियंत्रण यूनिटों का वितरण मतदान बूथों के क्रमानुसार किया जाना चाहिए। अर्थात् मतदान बूथ संख्या एक में प्रयुक्त नियंत्रण यूनिट को गणना टेबल संख्या 1 को दी जानी चाहिए, मतदान केन्द्र संख्या 2 की गणना टेबल संख्या 2 को दी जानी चाहिए, और इसी प्रकार आगे भी दी जानी चाहिए। किन्तु यदि किसी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र में मतदान बूथों की संख्या कम हो तो ऐसी स्थिति में यदि रिटर्निंग अधिकारी उपयुक्त समझे तो एक ही टेबल पर क्रमिक रूप से किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के बूथों में प्रयोग में लाई गई मशीनों के मतों की गणना की जा सकेगी। ऐसे वितरण का लेखा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने पास भी रखे और इसका चार्ट मतगणना कक्षों के बोर्ड पर भी रखे।
3. गणना के समय, उस मतदान बूथ, जिस पर नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है, के मतदान परिणाम को सुनिश्चित करने के लिए मतदान मशीन की केवल नियंत्रण यूनिट ही अपेक्षित है, बैलेट यूनिट अपेक्षित नहीं है। फिर भी, मतदान बूथों से प्राप्त बैलेट यूनिटें संग्रहण केन्द्र पर निर्वाचन क्षेत्रवार और मतदान बूथवार नियंत्रण यूनिटों के साथ रखी जानी चाहिए, बैलेट यूनिट को गणना हाल में केवल तब ही ले जाया जाना चाहिए जब किसी भी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की मांग पर या अन्यथा किसी भी विशेष मामले में इसका निरीक्षण आवश्यक हो जाये, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की MK-V मॉडल की ईवीएम में परिणाम की जानकारी के लिए कंट्रोल यूनिट के साथ बैलेट यूनिट को कनेक्ट किया जाना आवश्यक है।
4. किसी मतदान बूथ पर प्रयुक्त की गयी नियंत्रण यूनिट के साथ प्रारूप 14 में अभिलिखित उस मतदान केन्द्र से संबंधित मतों का सुसंगत लेखा भी गणना-टेबल पर दिया जाना चाहिए। साथ ही पीठासीन अधिकारी की घोषणा भी दी जानी चाहिए।

13. नियंत्रण यूनिटों के कैरिंग बक्सों का खोला जाना:-

1. पीठासीन अधिकारियों द्वारा, नियंत्रण यूनिटें मतदान केन्द्रों से उनके कैरिंग बक्सों में सम्यक रूप से रखी हुई और सीलबंद रूप से प्राप्त हुई होगी।
2. कैरिंग बक्सों पर 3 X 6 से.मी. आकार के पीले स्टीकर या नीले स्टीकर लगे होंगे ताकि यह पहचान रहे कि मशीन जिला परिषद सदस्य चुनाव की है या पंचायत समिति सदस्य चुनाव की। प्रत्येक कैरिंग बक्सा ज्योंही गणना टेबल पर लाया जाये उस पर मतदान बूथ में पीठासीन अधिकारी के द्वारा लगायी गयी सील की जांच की जाये। यदि किसी कैरिंग बक्से की सील किसी मामले में अविकल (Intact) न भी पायी जाये तो भी उसमें रखी गयी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गड़बड़ होने की संभावना नहीं है, यदि उस यूनिट पर लगी हुई सील और विशेषतः उस पर लगी स्ट्रिप सील व पिंक सील अविकल (Intact) हो।
3. कैरिंग बक्सों की सीले हटा दीजिए। नियंत्रण यूनिट को बाहर निकाल लें और उसे गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा उस पर लगी स्ट्रीप सील, स्पेशल टैग व पिंक पेपर सीलों के निरीक्षण और जांच के लिए गणना टेबल पर रख दें।

14. नियंत्रण यूनिट पर लगी सीलों और पहचान चिन्हों की जांच:-

प्रत्येक नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या की जांच कर लें और अपना इस बारे में समाधान कर ले कि यह वही नियंत्रण यूनिट है जो आपके द्वारा पीठासीन अधिकारी को उस मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी तथा नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सैक्शन की सील वही है जो

आपके द्वारा उस मतदान केन्द्र को मशीन दिये जाने के पूर्व लगायी गयी हो। पीठासीन अधिकारी द्वारा भी मतदान केन्द्र पर स्ट्रिप सील लगायी गई है और स्पेशल टैग पर सील लगायी गयी है। यदि इन सीलों में से कोई सील क्षतिग्रस्त हो तब भी नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है, बशर्ते परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर पर लगायी गई पिंक पेपर सील अविकल (Intact) हो।

15. नियंत्रण यूनिटों पर सीलों का निरीक्षण:-

किसी भी कन्ट्रोल यूनिट में रिकार्ड किये गये मतों की गणना किये जाने से पूर्व, गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को ऐसी पेपर सीलें और अन्य ऐसी महत्वपूर्ण सीलें, जो कैरिंग बक्सों और नियंत्रण यूनिट पर लगायी गयी हो, का निरीक्षण करने दिया जायेगा और उन्हें स्वयं का समाधान करने दिया जायेगा कि सीले अविकल (intact) है। आप स्वयं का भी समाधान करेंगे कि किसी भी मतदान मशीन के साथ गडबड नहीं की गयी है। यदि आपका समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गडबड की गयी है, तो आप उस मतदान मशीन में रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं करेंगे और पैरा 22 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का, जो भी उस मतदान केन्द्र के संबंध में लागू होती हो, जहां कि वह मशीन प्रयुक्त की गई थी, अनुसरण करेंगे।

16. पेपर सील के क्रम संख्यांक का मिलान:-

1. परिणाम अनुभाग के बाहरी कवर को खोलने पर आपको पीठासीन अधिकारी की सील से सीलबंद किया हुआ भीतरी कवर दिखायी देगा। उक्त सील की भी जांच कर लें। यदि मुहर क्षतिग्रस्त भी हो तो भी, नियंत्रण यूनिट में कोई भी गडबड होने की संभावना नहीं है बशर्ते कि पिंक पेपर सील अविकल हो और उससे छेडछाड नहीं की गई हो। परिणाम अनुभाग के भीतरी कवर में दो पेपर सील होगी। पेपर सील पर क्रम संख्यांक का उस क्रम संख्या से मिलान कर लिया जाना चाहिए जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रारूप 14 के भाग I में मद सं. 9 पर तैयार किये गये पेपर सील लेखा में दी गयी हो। गणना टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों को या उनके अभिकर्ताओं को भी पेपर सील के ऐसे क्रम संख्यांक का मिलान करने दें।
2. यदि नियंत्रण यूनिट में प्रयुक्त पेपर सील के क्रम संख्यांक का पेपर-सील लेखे में पीठासीन अधिकारी द्वारा यथा दर्शित क्रम संख्यांक से मिलान नहीं होता है तो, फिर यह हो सकता है कि पेपर सील लेखे में कोई भूल हो या प्रथम दृष्टया यह इस सन्देह कारण होगा कि मतदान मशीन से छेडछाड की गयी है। इस प्रश्न का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी द्वारा लौटायी गयी अप्रयुक्त पेपर सीलों के क्रम संख्याओं की और मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं द्वारा की गयी शिकायतों और अन्य सुसंगत परिस्थितियों की जांच करके करें। यदि आप इसे लिपिकीय भूल का मामला पाये, तो उस असंगति को नजर अन्दाज कर दें।

17. गडबडी पाये जाने पर नियंत्रण यूनिटों को अलग रखा जाना:-

यदि आपका समाधान हो जाये कि मतदान मशीन में गडबडी की गयी है, या मतदान मशीन वह नहीं है जो मतदान केन्द्र पर उपयोग के लिए दी गयी थी, तो मशीन को अलग रख दिया जाये और उसमें रिकार्ड किये गये मतों की गणना नहीं की जाये। आपको ऐसे मामले की रिपोर्ट आयोग को करनी चाहिए। सम्पूर्ण गणना को स्थगित करना आवश्यक नहीं है।

18. परिणाम सुनिश्चित करना:-

1. मतों की गणना के लिए, निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए :-

- (i.) पीछे के कम्पार्टमेंट में लगे हुए पावर स्विच को दबाकर ऑन स्थिति में लाये और नियंत्रण यूनिट को ऑन करें। नियंत्रण यूनिट को ऑन करने पर प्रदर्शन अनुभाग में हरी बत्ती चमकने लगेगी।
- (ii.) परिणाम-अनुभाग के भीतरी कवर के उपरी छिद्र के नीचे लगे परिणाम बटन के उपर पेपर-सील को निकाल दे।
- (iii.) परिणाम बटन को दबा दे।

- (iv.) परिणाम बटन को इस प्रकार दबाये जाने से, मतदान केन्द्र पर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में रिकार्ड किये गये मतों की कुल संख्या नियंत्रण यूनिट के पैनल में एक-एक कर स्वतः ही प्रदर्शित हो जायेगी।
- (v.) उपर्युक्त परिणाम को प्रारूप 14 मतगणना का परिणाम के भाग II में यथादर्शित अभ्यर्थीवार (नोटा सहित) नोट कर लें।
2. यदि आवश्यक हो, अभ्यर्थियों और/उनके अभिकर्ताओं को उपर्युक्त परिणाम नोट करने देने के लिए परिणाम बटन को फिर से दबायें।
3. परिणाम के नोट कर लिये जाने के पश्चात् परिणाम-अनुभाग के कवर को बन्द कर दें और नियंत्रण यूनिट को "स्विच ऑफ" कर दें।
4. अपग्रेडेड पोस्ट 2006 MK-V, M3A की EVM के संबंध में नियन्त्रण यूनिट में परिणाम निर्धारित करने के लिए उससे संबंधित बैलेट यूनिट को नियन्त्रण यूनिट से जोड़ना होगा। शेष प्रक्रिया यथावत रहेगी।

19. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना करने हेतु निर्देश

ECIL द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) एवं मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) ईवीएम से दोनों पदों का निर्वाचन एक साथ होने की स्थिति में परिणामों की गणना के लिए केवल कन्ट्रोल यूनिट की ही आवश्यकता होगी। उक्त मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम से परिणाम प्राप्त करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया एवं संचालन हेतु पुस्तिका (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अध्याय-5 में बताई गई है। मल्टी पोस्ट मल्टी वोट (MPMV) ईवीएम से परिणाम प्राप्त करने संबंधी विस्तृत प्रक्रिया एवं संचालन मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV) ईवीएम के समान ही है। रिटर्निंग अधिकारी मतगणना से पूर्व उक्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें।

उक्त MPSV/MPMV ईवीएम से निर्वाचन होने की स्थिति में मतगणना के लिए की जाने व्यवस्था हेतु निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए जाते हैं :-

1. एक ही कन्ट्रोल यूनिट में दोनों पदों के लिए परिणाम प्रदर्शित होने के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतगणना एक ही कक्ष में कराई जाएगी।
2. परिणाम प्रदर्शित करते समय इन मशीनों में Under Vote & Unfinished Voter की संख्या भी प्रदर्शित होगी। Under Vote का अर्थ है कि मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार को मत नहीं दिया जाकर END बटन का उपयोग किया गया है अर्थात् मतदाता द्वारा या तो किसी भी पद के लिए मत नहीं दिया गया है या दो में से किसी एक पद के लिए मत देने के बाद END बटन का उपयोग किया गया है। Under Vote की स्थिति में किसी पद के लिए डाले गए मतों की संख्या मत डालने आए मतदाताओं की संख्या से कम होगी एवं इनका अन्तर ही Under Vote की संख्या में प्रदर्शित होगा।

Unfinished Voters का अर्थ ऐसे मतदाताओं से है जिन्होंने दो में से किसी एक ही पद के लिए मत दिया एवं END बटन का उपयोग नहीं किया एवं मतदान बूथ को छोड़कर चला गया तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐसी स्थिति में अगले मतदाता को मताधिकार हेतु कन्ट्रोल यूनिट को ऑफ करके फिर से ऑन किया गया है। Unfinished Voters द्वारा नहीं दिए गए मत Under Vote की श्रेणी में भी सम्मिलित होंगे।

यहां यह ध्यातव्य है कि यदि कोई मतदाता एक पद के लिए मत देने के बाद मतदान केन्द्र छोड़कर चला गया है एवं पीठासीन अधिकारी को मतदान चालू रखने के लिए कन्ट्रोल यूनिट को ऑफ करके फिर से ऑन किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जिस पद के लिए मतदाता के द्वारा मत नहीं दिया गया है, वह उस पद के लिए Under Vote की श्रेणी में होगा।

3. जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव की मतगणना साथ-साथ होने के कारण एक अतिरिक्त गणना सहायक की आवश्यकता होगी। परिणाम प्राप्त करने हेतु ईवीएम की कन्ट्रोल यूनिट को बीच में रखा जाए एवं एक तरफ पंचायत समिति सदस्य का परिणाम का डाटा एवं दूसरी तरफ जिला परिषद सदस्य के परिणाम का डाटा एकत्रित करने हेतु गणना सहायकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए।

4. मल्टी पोस्ट सिंगल वोट (MPSV)/मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) ईवीएम में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य दोनों पदों के लिए परिणाम एक ही नियंत्रित यूनिट में प्रदर्शित होगा। ईवीएम के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार पहले पद पर जिला परिषद एवं द्वितीय पद पर पंचायत समिति सदस्य के लिए ईवीएम को सैट करना है। अतः परिणामों के प्रदर्शन के समय पहले जिला परिषद सदस्य का परिणाम प्रदर्शित होगा, इसके बाद पंचायत समिति सदस्य का परिणाम प्रदर्शित होगा।
5. जिला परिषद सदस्य के लिए नियुक्त अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं को जिला परिषद सदस्य के परिणाम हेतु डाटा एकत्रित कर रहे गणना सहायकों की तरफ एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए नियुक्त अभ्यर्थियों के गणना अभिकर्ताओं को सदस्य पद के परिणाम हेतु डाटा एकत्रित कर रहे गणना सहायकों की तरफ बैठने की व्यवस्था की जाए।
6. गणना मेजों पर मतगणना हेतु अपेक्षित लेखन सामग्री की व्यवस्था भी दोनों पदों के अनुसार कर ली जाए।
7. अन्य निर्देश बिन्दु संख्या 12 से 19 में अंकितानुसार यथास्थिति लागू रहेंगे।

20. प्रारूप 14, भाग II- (गणना का परिणाम) का पूरा किया जाना :-

1. ज्योंही प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को प्राप्त मत नियंत्रण यूनिट के प्रदर्शन पैनलों पर दिखाये जायें, वैसे ही गणना पर्यवेक्षक को ऐसे मतों की संख्या को प्रत्येक अभ्यर्थीवार पृथक् से प्रारूप 14 के भाग II गणना का परिणाम में अभिलिखित कर लेना चाहिए। उसे उक्त प्रारूप 14 के भाग II में यह भी नोट कर लेना चाहिए कि क्या उस भाग में यथादर्शित मतों की कुल संख्या उस प्रारूप के भाग I की मद 5 के सामने दर्शायी गयी मतों की कुल संख्या से मिलती है एवं इन दोनों योगों के बीच कोई अंतर नहीं है। उस प्रारूप को सभी प्रकार से पूर्ण कर लेने के पश्चात गणना पर्यवेक्षकों को इस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। उस गणना-टेबल के पास उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर उस पर करवाने चाहिए।
2. गणना पर्यवेक्षक द्वारा प्रारूप 14 के भाग II को सम्यक् रूप से भरे जाने और हस्ताक्षर किये जाने और उस पर अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लिये जाने के पश्चात्, उसे उस प्रारूप को रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंप देना चाहिए। रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी स्वयं का यह समाधान कर लेने के पश्चात कि प्रारूप समुचित ढंग से भरा और सभी प्रकार से पूर्ण किया गया है, स्वयं भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसे हस्ताक्षरित किये हुये उक्त प्रारूप को अन्तिम परिणाम पत्र (प्रारूप-7) तैयार कर रहे अधिकारी को सौंप देना चाहिए।

21. अंतिम परिणाम पत्र की तैयारी :-

1. अंतिम परिणाम पत्र (प्रारूप-7) की पूर्ति मशीनों में रिकार्ड किये गये मतों की गणना तथा डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात की जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी एवं नोटा को मशीनों में रिकार्ड किये गये नोटा सहित अभ्यर्थीवार मतों व डाक मतपत्रों में पाये गये नोटा सहित अभ्यर्थीवार विधि मान्य मतों को जोड़कर प्रारूप-7 की पूर्ति की जायेगी।
2. यदि राज्य निर्वाचन आयोग ने किसी भी मतदान केन्द्र में किसी नये मतदान का निर्देश दिया है तो परिणाम पत्र में नये मतदान के सम्बन्ध में ही गणना के परिणाम को सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल योग तब तक नहीं लगाया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम पत्र में ऐसे नये मतदान के सम्बन्ध में गणना का परिणाम सम्मिलित नहीं कर लिया गया हो।
3. कुल योग की सत्यता की जांच कर लेवें क्योंकि किसी भी तरह का गलत योग मतदान के परिणाम को और परिणाम की घोषणा को, जो कि इस प्रारूप के आधार पर की जानी है, तात्त्विक रूप से प्रभावित करेगा। उस प्रारूप के किसी भी फर्क को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा और कठोर अनुशासनिक कार्यवाही का कारण बनेगा।
4. निविदत्त मतपत्र (Tentered Vote) के लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और ना ही निविदत्त मतों की गणना की जायेगी।

5. सामान्यतया मतदान मशीन द्वारा रिकार्ड किया गया प्रत्येक मत एक विधि मान्य मत है और उसकी विधिमान्यता के विषय में या अन्यथा कोई विवाद नहीं उठेगा। अधिक से अधिक यह हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता किसी विशेष मतदान केन्द्र पर उस समय मतदान के परिणाम को सम्यक् रूप में लिख नहीं पाये हो जब नियंत्रण यूनिट में वह सूचना दिखायी गयी थी। यदि पुनर्सत्यापन की आवश्यकता उत्पन्न हो, तो ऐसा परिणाम-बटन को दबाकर किया जा सकेगा, जिस पर उस मतदान केन्द्र के मतदान का परिणाम नियंत्रण यूनिट के उस प्रदर्शन पैनलों पर पुनः दिखायी देगा।
6. मतगणना में किसी भ्रांति के पूर्णतया निवारण हो जाने और गणना पूरी हो जाने पर प्रारूप 7 में अंतिम परिणाम-पत्र तैयार कर लिया जाये, तब आपको अन्तिम परिणाम पत्र में यथा प्रविष्ट प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त मतों की कुल संख्या घोषित कर देनी चाहिए और परिणाम घोषित कर देना चाहिए।

22. गणना का स्थगन:-

1. यदि आपको नियम 49-क के अन्तर्गत किसी अपरिहार्य कारण से गणना को उसके पूर्ण होने से पूर्व ही निलंबित या स्थगित करना पड़े तो सभी मतदान मशीनों और निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज पत्रों को सील बंद कर दें। प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता यदि मतदान मशीन और पैकेट आदि, जिनमें निर्वाचन के कागज पत्र रखे हुए हो, पर अपनी सील लगाना चाहे तो आप उसे ऐसा करने की अनुमति दें।
2. सभी सील बंद मतदान मशीनों और पैकेट आदि एक पृथक कमरे में रखे जायें और कमरे को आपकी सील और अभ्यर्थियों की सील से सीलबंद और सुरक्षित दिया जाए। ऐसे कमरों पर आपके तालों के साथ-साथ अभ्यर्थी भी अपने ताले लगा सकते हैं।

23. गणना के पूर्ण होने के पूर्व मतदान मशीन के विनष्ट हो जाने, उसको हानि पहुंचाये जाने आदि की दशा में अनुसरण की जानी वाली प्रक्रिया:-

नियम 48-ख एवं 49-क के अन्तर्गत आयोग सभी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मतों की गणना रोक दिये जाने का निर्देश देने और यदि आवश्यक हो तो नवीन मतदान कराये जाने का आदेश देने के लिए सक्षम है। यदि मतों की गणना के पूर्ण होने के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की जाये कि किसी मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की गयी मतदान मशीन:-

- (i.) उसकी पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से विधि विरुद्ध निकाल ली गयी है, या
- (ii.) घटनावश या साशय विनष्ट हो गयी है या कर दी गयी है या खो गयी है या खो दी गयी है, या
- (iii.) उसको उस सीमा तक नुकसान पहुंचाया गया है या उसमें गड़बड़ कर दी गयी है कि उस मतदान केन्द्र के मतदान के परिणाम को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता। या,
- (iv.) वोटिंग मशीन में मतदान या मतगणना के दौरान तकनीकी खराबी आ गयी हो,
- (v.) मतदान केन्द्र पर मतदान प्रक्रिया दूषित हो गयी हो, या
- (vi.) बूथ कैप्चरिंग के कारण मतदान केन्द्र का परिणाम विनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, तो आपको ऐसे सभी तथ्यों की रिपोर्ट आयोग को तुरन्त करनी चाहिए और उस मतदान केन्द्र के मतों की गणना के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

24. पुनः मतदान के पश्चात गणना:-

यदि किसी मतदान केन्द्र पर मतदान दुबारा करवाया गया है तो उस मतदान में रिकार्ड किये गये मतों की गणना के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करना चाहिए और इसकी लिखित सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को दी जानी चाहिए। आपको इस गणना में भी उपर बतायी गयी विस्तृत कार्यविधि का ही, जहां तक कि वह लागू हो, पालन करना चाहिए।

25. परिणामों की घोषणा:-

मतों की गणना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों की प्ररूप-7 में विवरण तैयार करेगा और यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया गया है तो परिणाम घोषित किये जायेंगे। उस अभ्यर्थी को जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत प्राप्त हुये हैं, उसे निर्वाचित घोषित किया जायेगा। यदि मतों की गणना के पश्चात किन्ही

अभ्यर्थियों के बीच में मतों की समानता पायी जाय और केवल एक मत को जोड़ने से ही अभ्यर्थियों में से किसी को भी निर्वाचित घोषित किये जाने का हक मिलता है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में तत्काल लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही करेगा तथा इसका कार्यवाही विवरण बनाया जावेगा, जिस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन/गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी यदि वे करें तो कराये जायेंगे। कार्यवाही विवरण को अन्य कागजात के साथ पृथक लिफाफे में रख कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-7) में ऐसे अभ्यर्थियों जिनके पक्ष में लॉट निकला है, के सामने डाले गये मतों के आगे यथानुकूल प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी। लॉटरी निकाले जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी।

26. निर्वाचन का प्रमाण-पत्र:-

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। निर्वाचित घोषित किये गये अभ्यर्थी को निर्वाचन का प्रमाण-पत्र देने पर ऐसे अभ्यर्थी से प्राप्ति रसीद भी प्राप्त की जाये और उसके विधिवत हस्ताक्षर भी लिए जायें। राज्य निर्वाचन आयोग को, परिणाम घोषित करने पर नीचे के पैरा 27 में वर्णित सामग्री/कागजात भेजे जायें।

27. निर्वाचक के परिणाम के बाद तैयार किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

1. अंतिम परिणाम-पत्र (प्ररूप-7)
2. सारणी-क में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
3. सारणी-ख में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की सूची;
4. सारणी-क एवं सारणी-ख की सॉफ्ट कापी (CD)

उपरोक्त कागजात (क्र. सं. 1, 2 व 3) पर रिटर्निंग अधिकारी का नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए, तारीख एवं स्थान अंकित होना चाहिए एवं रिटर्निंग अधिकारी की मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए।

28. गणना के पश्चात मतदान मशीनों को पुनः सीलबंद करना:-

1. किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतदान के अभ्यर्थीवार परिणाम अभिनिश्चित कर लिये जाने और प्रारूप 14 के भाग II "गणना का परिणाम" में और प्रारूप 7 में अंतिम परिणाम-पत्र में प्रविष्टि कर दिये जाने के पश्चात, नियंत्रण यूनिट को नियम 52-क के अधीन रिटर्निंग अधिकारी की सील से और ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं, जो उस पर अपनी सील लगाना चाहें, की सीलों से पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए। तथापि, पुनः सीलबंद ऐसी रीति से किया जाना चाहिए कि नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिट नहीं जाये और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति को बनाये रख सके। इस विषय में आयोग का सांविधिक आदेश सं. 56/09 दिनांक 18.12.09 (पत्र क्रमांक 6306 दिनांक 18.12.09) के द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना की जाये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टी पोस्ट सिंगल वोट/मल्टीपोस्ट मल्टीवोट ईवीएम को सील नहीं किया जाना है। इन मशीनों में प्रयुक्त किए गए सिक्थोर डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (SDMM) ही आयोग के पत्रांक 710 दिनांक 20.01.2026 एवं डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (DMM) को आयोग के पत्रांक 830 दिनांक 23.01.2026 के अनुसार सील किया जाएगा।

2. नियंत्रण यूनिट को पूर्वोक्त रूप में पुनः सील बंद निम्नलिखित रीति से किया जाना चाहिए:-

- (i) सील को हटाकर नियंत्रण यूनिट के कैंडिडेट सैट सेक्शन की बैटरी को हटा दें। बैटरी को हटाये जाने के बाद में कैंडिडेट सेक्शन का कवर पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।
कृपया ध्यान दीजिये:- बैटरी का हटाया जाना आवश्यक है जिससे कि यह समय बीतने के साथ-साथ फूल नहीं जाये और मशीन को क्षति नहीं पहुंचे। तथापि, बैटरी को हटाये जाने से नियंत्रण यूनिट में रिकार्ड किये गये मतदान का परिणाम मिटता नहीं है, क्योंकि नियंत्रण यूनिट अपनी स्मृति को बनाये रखेगी चाहे बैटरी हटा दी जाये।
- (ii) परिणाम-सेक्शन के बाहरी कवर को बन्द कर दें और इसे पुनः सील कर दें।

- (iii) इस प्रकार पुनः सीलबंद की गयी नियंत्रण यूनिट को उसके कैरिंग बक्से में रखें।
- (iv) कैरिंग बक्से को पुनः सीलबंद कर दें।
- (v) कैरिंग बक्से के हैंडल पर एड्रेस टैग को दृढ़तापूर्वक लगा दें, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो:-
 - (क) पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम
 - (ख) निर्वाचन क्षेत्र संख्या
 - (ग) उस मतदान बूथ की क्र.सं. व नाम, जहां नियंत्रण यूनिट प्रयुक्त की गयी है।
 - (घ) नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या,
 - (ङ) मतदान की तारीख,
 - (च) गणना की तारीख।
- (vi) आप अपनी सील के साथ-साथ अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसा चाहे, उनकी सीलें लगाने की अनुमति दें।
- (vii) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा निर्मित मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV)/मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) मशीनों से मतदान होने की स्थिति में मतगणना कार्य पूर्ण होने के बाद इन ईवीएम को सील नहीं किया जाएगा। इन मशीनों की कन्ट्रोल यूनिट में लगे हुए एसडीएमएम/डीएमएम को निकालकर उसे ही सील किया जाना है। एसडीएमएम को सील करने के संबंध में आयोग के पत्रांक 710 दिनांक 20.01.2026 एवं डिचेबल मेमोरी मॉड्यूल (DMM) को सील करने के संबंध में आयोग के पत्रांक 830 दिनांक 23.01.2026 से दिशा निर्देश प्रदान किए हुए हैं। एसडीएमएम/डीएमएम को सील करने के पश्चात् उक्त मल्टीपोस्ट सिंगल वोट (MPSV)/मल्टीपोस्ट मल्टीवोट (MPMV) ईवीएम को आगामी मतदान के लिए नवीन एसडीएमएम (SDMM) /डीएमएम प्रयुक्त कर पुनः उपयोग में लिया जा सकेगा।
- 3. बैलेट यूनिटों को भी पूर्वोक्त सांविधिक आदेश संख्या 6306 दिनांक 18.12.09 (सां.आ. 56/09) के अनुसार सील किया जावे।
- 4. इस प्रकार पुनः सीलबंद की गई नियंत्रण यूनिटों व बैलेट यूनिटों को सुरक्षित भण्डारण के लिए विशेष रूप से तैयार किये गये बड़े बक्सों में रखा जाना चाहिए।
- 5. मतदान यूनिटों को साधारणतया, गणना के समय खोले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी मतदान यूनिट को निरीक्षण या गणना के समय सत्यापन के लिए इसके कैरिंग बक्से से बाहर निकाला जाता है तो इसे ऐसे निरीक्षण या सत्यापन के पश्चात् इसके कैरिंग बक्से में वापस रख कर सीलबंद कर दिया जाना चाहिए।
- 6. सुरक्षित भण्डारण के लिए मतदान यूनिटों को भी विशेष रूप से तैयार किये गये बड़े बक्सों में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचन में प्रयुक्त सभी नियंत्रण यूनिटें और मतदान यूनिटें भंडारण स्थल पर ले जाये जाने के लिए तैयार की जावे।

29. सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्वाचन कागजात को सील बंद करना:-

1. मतदान मशीनों एवं कई अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन संबंधी कागजात हैं जिनका सीलबंद किया जाना और सुरक्षित किया जाना तथा भंडारण किया जाना अपेक्षित है। नियम 53-क के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निर्वाचन संबंधी कागजपत्रों के पैकेट तथा आयोग के सांविधिक सं. आदेश 59/09 दिनांक 20.12.09 (पत्रांक 6491 दिनांक 20.12.09) के द्वारा विनिर्दिष्ट कागज पत्रों के पैकेट किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जायेंगे और न उनकी अर्न्तवस्तु का निरीक्षण किया जायेगा और न ही वे वस्तुएं उसके समक्ष पेश की जायेगी। इस प्रकार इन कागज पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की गयी हैं, वहां ये कागजपत्र निम्नलिखित हैं:-
 - (i) प्रारूप 12 में मतदाता रजिस्ट्रों के पैकेट,
 - (ii) अप्रयुक्त डाक मतपत्रों के पैकेट,
 - (iii) प्रयुक्त डाक मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हो या प्रतिक्षेपित, पैकेट (उन पैकेटों को सम्मिलित करते हुए जिनमें विलम्ब से प्राप्त डाक मतपत्र वाले लिफाफे भी हैं),

- (iv) अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के पैकेट
 - (v) प्रयुक्त और अप्रयुक्त निविदत्त मतपत्रों के पैकेट,
 - (vi) अप्रयुक्त (अधिशेष) मतपत्रों (मतदान यूनिटों पर प्रदर्शित करने के लिए और निविदत्त मतपत्रों के रूप में प्रयोग करने के लिए मुद्रित) के पैकेट,
 - (vii) निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रतियों के पैकेट, और
 - (viii) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट।
2. उपर्युक्त मद (iii) और (viii) पर बताये गये कागज पत्रों के पैकेट गणना के समय ही बना लिए जायेंगे ऐसे पैकेट आपके द्वारा मतों की गणना की समाप्ति के तुरन्त पश्चात आपकी सील से सीलबन्द कर दिये जायेंगे। यह सील उन सीलों के, यदि कोई हो, अतिरिक्त होगी जो इन पैकेटों पर किन्हीं अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं, जो उन पर अपनी सील लगाना चाहें, द्वारा लगायी जायेगी। आपको वहां उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं को बता देना चाहिए कि इन पैकेटों पर वे अपनी सील अवश्य लगायें और ऐसा करना उनके अपने ही हित में है ताकि किसी पैकेट में कोई गड़बड़ी न की जा सके।
3. ऊपर उप पैरा 1 की मद संख्या (i), (iv) (v) और (vii) में बताये गये कागजपत्रों के सभी पैकेट मतदान केन्द्रों के पीठासीन अधिकारियों से सम्यक रूप से सीलबन्द पैकेटों में प्राप्त किये जायेंगे। चूंकि मतगणना के समय इन पैकेटों की किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता नहीं होती है, अतः इनमें से प्रत्येक को निर्वाचन कागजपत्र प्राप्त करने के स्थान पर प्राप्त करने के तुरन्त बाद सीलबंद कर दिया जाना चाहिए और लोहे के संदूक में रख दिया जाना चाहिए।
4. इन पैकेटों को वस्तुतः सीलबंद करने के कार्य से पर्यवेक्षण के लिए आपको एक उत्तरदायी प्रभारी अधिकारी लगाना चाहिए अन्यथा, निर्वाचन के महत्वपूर्ण कागजपत्रों के इधर-उधर हो जाने की संभावना है, जिसका परिणाम यह होगा कि यदि और जब कोई सक्षम न्यायालय इन कागजपत्रों को पेश करने का आदेश देगा तब जटिलतायें और गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।
5. लोहे के प्रत्येक संदूक में दो ताले लगाये जाये और प्रत्येक ताला सीलबंद कर दिया जाये।

30. कार्यवाहियों का लेखबद्ध किया जाना:-

1. मतों की गणना के पश्चात गणना स्थल पर ही मतदान मशीनों और निर्वाचन के कागजपत्रों को सीलबंद कर दिये जाने के पश्चात आपको निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए कार्यवाही लेखबद्ध करनी चाहिए—
 - (i.) गणना हॉल में उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं का पूर्ण विवरण,
 - (ii.) यह तथ्य कि उनसे मतदान मशीनों और निर्वाचन के पैकेटों पर, यदि वे ऐसा चाहे, अपनी सीलें लगाने को, कहा गया था, और
 - (iii.) उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने मतदान मशीनों और पैकेटों पर अपनी सीलें लगायी थी और उन व्यक्तियों का विवरण, जिन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था।
2. उक्तानुसार संपादित कार्यवाही के लिए कार्यवाही विवरण तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए और उस पर ऐसे अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं के जो उपस्थित हो और हस्ताक्षर करना चाहें, हस्ताक्षर करवाने चाहिये। कार्यवाहियों को एक लिफाफे में, रखा जाना चाहिए और सीलबंद किया जाना चाहिये। सीलबंद लिफाफे को निर्वाचन के कागजपत्रों के पैकेटों के साथ रखा जाना चाहिए।

31. निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन अभिलेखों की सुरक्षित अभिरक्षा:-

1. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दिये जाने के पश्चात तुरन्त उसी दिन समस्त मतदान मशीनों और उपर्युक्त उल्लिखित पैकेटों को अन्तर्विष्ट करने वाले सील बंद संदूक को सरकारी कोषागार/उपकोषागार या ईवीएम के सुरक्षित भण्डारण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियत किए गए स्थानों पर दो तालों के अन्दर जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा। प्रत्येक संदूक के ताले की चाबी कोषागार अधिकारी को या कोषागार संहिता के अधीन प्राधिकृत कोषागार/उपकोषागार के किसी अन्य अधिकारी के सुपुर्द कर दी जानी चाहिए और प्रत्येक संदूक के दूसरे ताले की चाबी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा या इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने पास रखी जानी चाहिए।

2. मतों की गणना आरंभ होने से पूर्व जिस कमरे में ईवीएम एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों को रखा गया है, उस कमरे के बाहर तैनात सशस्त्र पुलिस रक्षक दल को गणना की समाप्ति हो जाने के पश्चात ही हटा नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि मतदान मशीनों और निर्वाचन अभिलेख कोषागार/उपकोषागार को भेज नहीं दिये जाते। जहां तक संभव हो, उसी रक्षक दल को इन कागज पत्रों के परिवहन के दौरान भी उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाना चाहिए। इस तथ्य का उस रक्षक दल द्वारा रखी जाने वाली लॉग बुक में उल्लेख कर दिया जाना चाहिए।
3. उक्त सीलबंद मशीनों एवं निर्वाचन कागज पत्रों का निस्तारण उस रीति से किया जा सकेगा जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियम 53-ख के अंतर्गत जारी किये जाने वाले आदेश में विहीत की जाये।

32. विविध:-

1. नियम 49, 49-घ एवं 68 में वर्णित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य किसी को मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाये। माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक आदि के मतगणना केन्द्र में प्रवेश निषेध संबंधी आयोग के आदेश क्रमांक 6708 दिनांक 23.12.2009 की पालना सुनिश्चित की जाये।
2. मतगणना कक्षों के भीतर भी बैरिकेडिंग इस रूप में की जावे कि अभ्यर्थी या उनके गणन अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता किसी मतपत्र को नहीं छू पाये लेकिन वे मतपत्रों की गिनती के समय उनको आसानी से देख सकें।
3. मतदान केन्द्र के बाहर भी बैरिकेडिंग एवं सुरक्षात्मक उपाय किये जावे। मतदान केन्द्र में बिजली/पानी/टॉयलेट आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएँ की जाये।
4. मतगणना कक्षों के भीतर एवं उसके आसपास भीड़-भाड़ से बचने के लिए केवल उन अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं को मतदान कक्ष के भीतर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये जिनके मतदान क्षेत्र की मतगणना का कार्य चल रहा है।
5. मीडिया से संबंधित व्यवस्थाएँ भी समुचित रूप से की जाये। मीडिया कर्मियों के प्रवेश के संबंध में आयोग के पत्रांक 7325 दिनांक 7.1.2010 के अनुसार कार्यवाही की जाये।
6. मतगणना केन्द्रों पर मोबाईल फोनों के उपयोग के संबंध में आयोग के पत्र दिनांक 6726 दिनांक 24.12.2009 में दिये गये दिशा-निर्देशों की भी पालना की जाये।

भवदीय

31/12/26
(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक : 03.02.2026

क्रमांक:एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/1300-1304

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. अति. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति जन सम्पर्क अधिकारी को उपलब्ध करा पालना सुनिश्चित करावें।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

6
03.02.2024
(अम्बा लाल मीणा)

उप सचिव